



राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक : 11-05-2017

**आदेश**

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-III में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-III में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

The existing conditions appearing in Item 11 (C) of Part-I (Financial Matters) of Part-III shall be substituted as under :-

| Existing   | After Amendment  |
|--|--|
| Provided that :<br>(i) The vehicle has covered the minimum road kilometers of use as prescribed in Annexure B – Part II and inspected by Committee constituted under rule 18 of Part-II of G.F. & A.R.<br><br>(ii) The committee shall record the following certificate :<br><br>(a) That the vehicle has run the distance of use as per condition No. (i).<br>(b) That the vehicle is beyond economic repairs and uneconomical to operate due to excessive consumption of petrol/diesel.<br>(c) That the replacement of parts shall cause heavy expenditure and further running of the vehicle shall be uneconomical. | Provided that :<br>(i) The vehicle has covered the minimum road kilometers and minimum years of use as prescribed in Annexure B – Part II and inspected by Committee constituted under rule 18 of Part-II of G.F. & A.R.<br><br>(ii) The committee shall record the following certificate :<br><br>(a) That the vehicle has run the distance and completed minimum years of use as per condition No. (i).<br>(b) That the vehicle is beyond economic repairs and uneconomical to operate due to excessive consumption of petrol/diesel.<br>(c) That the replacement of parts shall cause heavy expenditure and further running of the vehicle shall be uneconomical. |

आज्ञा से,

11/5/2017  
(रामावतार शर्मा)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकसचिव सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
12. समस्त कोषाधिकारी
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
15. विशिष्ट रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
16. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग कृपया इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें ।

(हरीश लड्डा)

मुख्य लेखाधिकारी

GF&AR-07/2017